न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 52/2012

1. मौहरसिंह (मृतक)
   - 1/1. उदयराम, 1/2. लाखनसिंह — पुत्रान मौहरसिंह
   - 1/3. श्रीवती पुत्री मौहरसिंह

   जाति जाटव निवासी ग्राम जिरौली तह0 व जिला भरतपुर।
2. छिद्दी
3. फगुनी
4. श्रीचन्द (मृतक)
   - 4/1. ओमप्रकाश, 4/2. हुकमसिंह — पिसरान श्रीचन्द जाति जाटव निवासी जिरौली (जघीना) तह. व जिला भरतपुर
5. नत्थी पुत्र घन्टोली जाति जाटव निवासी जिरौली (जघीना) तह. व जिला भरतपुर — मृतक
   - 5/1. रामदेई बेवा नत्थी (मृतक)
   - 5/2. रतनसिंह, 5/3. हरीसिंह, 5/4. लालसिंह, 5/5. भीकमसिंह, 5/6. रूपसिंह — पिसरान श्रीचन्द जाति जाटव निवासी जिरौली तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. शिवराम पुत्र हुकमी जाति जाटव निवासी जिरौली तहसील भरतपुर हाल आबाद किशनपुरा नई कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के पीछे एसटीसी रोड भरतपुर — मृतक
   - 1/1. अजयसिंह पुत्र शिवराम
   - 1/2. सौनदेई, 1/3. सुशीला, 1/4. वीरो — पुत्रियान स्व0 शिवराम

   जाति जाटव निवासी जिरौली तह. भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः— 14—01—2020

वादीगण द्वारा यह दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण दि0 11.02.1997 को इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर हाल 10475/0.34 गत खसरा नंबर 5323 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बना हैं जिस पर वादीगण खातेदार दर्ज था। प्रतिवादी सं0 1 का उक्त आराजी खसरा नंबर से कतई कोई सरोकार नहीं है। उक्त आराजी खसरा नंबर पर हो रहे इन्द्राज की आड़ में वादीगण को प्रतिवादी बेदखल करना चाहता है। आराजी खसरा 10461 रकबा 18 एयर गत आराजी खसरा नंबर 5293 व आराजी खसरा नंबर 10462 रकबा 0.01 एयर गत खसरा नंबर 5293 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से बनाए गए हैं। जिस पर वादी का कब्जा व काश्त है। चूँकि उक्त आराजी खसरा नंबरान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया है जो कि खिलाफ कानून व नियम विरुद्ध होने की वजह से वादीगण उक्त आराजी खसरा नंबरान से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। क्योंकि गत आराजी खसरा नंबर 5293 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल आराजी खसरा नंबर 10461 व 10462 रकबा 19 एयर बने हैं। जिस पर वादीगण पटवार रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज थे लेकिन सैटलमेंट की भूल के कारण उक्त आराजी खसरा नंबर प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कर दिया है। हाल रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज की आड़ में बेदखल करने पर उतारू हैं। वादीगण पुरखों के समय से ही कब्जा व काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 01.02.1997 को गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है।

वादी ने आराजी खसरा नंबर 10475/0.34 एयर व आराजी खसरा नंबर 10461 व 10462 रकबा 0.19 एयर पर वादीगण सं0 1 लगायत 3 को निष्फ हिस्से पर वहिस्सा बराबर व वादीगण सं0 4 को 1/3 हिस्सा निष्फ वादीगण सं0 5 को 2/3 हिस्सा निष्फ पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किए जाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के तलवी नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से दि0 13.11.2001 को जवाब पेश हुआ, शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार भरतपुर को जवाब के लिए अनेकों अवसर दिए जाने उपरान्त जवाब पेश नहीं किया गया और दिनांक 15.07.2002 को जवाब बंद किया गया।

वादी ने साक्ष्य जुबानी छिद्दी सिंह के बयान लिपिबद्ध कराये जो शामिल मिसल किए गए। साक्ष्य दस्तावेजी में फोटो कॉपी जमाबंदी संवत 2033–2036 ग्राम जघीना नं0 4, नकल जमाबंदी संवत 2052–2058 प्रदर्श नं0 1 ग्राम जघीना, नकल जमाबंदी संवत 2050–2055 प्रदर्श 2 एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2043–2062 पेश किया जो शामिल मिसल है।

मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी स्वयं के बयान लिपिबद्ध कराये।

न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.04.2003 को निर्णय किया जाकर वाद पत्र खारिज किया गया था। उक्त निर्णय/डिक्री के विरुद्ध वादीगण द्वारा अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष पेश की जिसका निर्णय दिनांक 25.01.2006 को किया जाकर यह आदेश पारित किया गया था कि अपील अपीलाण्ट कमशः 124/2003 व 125/2003 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दि0 28.04.2003 अपास्त किए जाकर प्रकरण में इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किये जाते हैं कि प्रकरण में किसी राजस्व अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारों के कब्जे की स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करें। इसके बाद सैटलमेंट विभाग से पूर्व के अभिलेख के अनुसार पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करते हुए अभिलेख में तदानुसार अंकन करावें।

उक्त आदेश के पश्चात पत्रावली पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेशानुसार तहसीलदार भरतपुर को प्रकरण में कमिश्नर नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर द्वारा कमांक/रीडर/07/150 दि0 02.03.2007 से वादग्रस्त आराजी व पक्षकारान व कब्जे के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो शामिल मिसल है।

Web Copy - Not Official

तत्पश्चात प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिनांक 14.12.2018 को प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गईं –

1. **तनकी सं0 1 –** ''आया वादीगण वाके ग्राम जघीना नं0 4 स्थित आराजी खसरा नं0 10475/0.34 व 10461, 10462 रकबा 0.19 पर वादीगण 01 लगायत 03 को निष्फ हिस्से पर वहिस्सा बराबर व वादी नं0 4 को 1/3 हिस्सा निष्फ तथा तथा वादी सं0 5 को 2/3 हिस्सा निष्फ पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं'' .....वादीगण
2. **तनकी सं0 2 –** ''आया वादग्रस्त आराजी से वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं।'' .....वादीगण
3. **तनकी सं0 3 –** **''**आया वादीगण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।**''** .....वादीगण
4. **तनकी सं0 4 –** **''**आया प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर लंबे समय से काबिज है। आराजी से वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वाद कारण नहीं होने से दावा वादीगण काबिल खारिज के है।**''** .....प्रतिवादीगण
5. **दादरसी ?**

तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। वादीगण को अनेक अवसर देने के बाद भी वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। दिनांक 19.07.2019 को साक्ष्य वादी बंद की गई। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ हाल जमाबंदी संवत 2033–2036, जमाबंदी 2052–2055, जमाबंदी 2052–2055, जमाबंदी संवत 2026–2029, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2060–2063 खसरा नंबर 10475, जमाबंदी सं0 2060–2063 खसरा नं0 10461, 10462 जमाबंदी संवत 2033–2036 (मौहरसिंह) व जमाबंदी संवत 2033–2036 (शिवराम), सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल 2043–2062 पेश किए हैं। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने बावत न्यायालय में सूचना दी। इस कारण दिनांक 19.09.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बहस अंतिम में नियत की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

1. **तनकी सं0 1 व 2** — उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूँकि दोनों तनकीयां एक दूसरे के समतुल्य है, इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेशानुसार प्रकरण में मौका कमिश्नर तहसीलदार भरतपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो संलग्न पत्रावली है। जिसके अनुसार हाल खसरा नंबर 10475/0.34 गत खसरा नंबर 5321 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा 5323 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बना है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार हाल खसरा नं0 10475/0.34 पर शिवराम पुत्र हुकमी का नाम हटाया अंकित किया गया है तथा शिवराम के गत खसरा नं0 5321 की पूर्ति के लिए हाल खसरा नं0 10475/0.34 से 3 एयर कम कर व शिवराम स्वयं की खातेदारी में बढ़े हुए खसरा नं0 10447/0.13 में से 5 एयर रकबा कम कर व हाल खसरा नं0 10451/0.20 में से 11 रकबा कम कर व हाल खसरा नं0 10476/0.27 में से 0.07 कम कर नया बटा नंबर 10475/1/0.26 मुताबिक मौका व कब्जा के अनुसार शिवराम के नाम खातेदारी में अंकित किया है तथा हाल खसरा नं0 10458/0.17 को मौका व रिकार्ड के अनुसार शिवराम के नाम तथा 10461/0.18 व 10462/0.01 को कब्जा व मौके के अनुसार मौहर सिंह के नाम किया जाना अंकित किया है।

अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार भरतपुर की कब्जे व मौका की रिपोर्ट के अनुसार उक्त तनकियां आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मुताबिक मौका रिपोर्ट हाल खसरा नं0 10475/0.34 में मृतक शिवराम व उसके वारिसान का नाम कलमजन किया जाकर वादी मौहरसिंह (मृतक) व उसके वारिसान को खातेदार दर्ज किया जावे तथा हाल खसरा नं0 10475/0.34 में से 3 एयर रकबा कम कर व हाल खसरा नं0 10447/0.13 में से 5 एयर कम करके व खसरा नं0 10451/0.20 में से 11 रकबा कम करके व खसरा नं0 10476/0.27 में से 7 एयर रकबा कम करके कुल 3+5+11+7= 26 एयर का बटा नंबर 10475/1/0.26

बनाते हुए प्रतिवादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा खसरा नं0 10458/0.17 पर प्रतिवादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) खातेदार दर्ज रहेंगे व हाल खसरा नं0 10461/0.18 व 10462/0.01 पर प्रतिवादी शिवराम (उसके वारिसान) के नाम कलमजन कर मृतक मौहरसिंह (उसके वारिसान) खातेदार दर्ज किए जावें।

उपरोक्तानुसार तनकी सं0 1 व 2 का निर्णय तदनुसार किया जाता है।

2. **तनकी सं0 3** – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी सं0 1 व 2 की विवेचना में विस्तृत निर्णय किया जा चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को तनकी सं0 1 व 2 के अनुसार खातेदार दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें।
3. **तनकी सं0 4** – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।
4. **दादरसी** – तनकी सं0 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में व तनकी सं0 4 का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण किया गया है। अतः दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाते हैं।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जघीना नं. 4 तहसील भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नं0 10475/0.34 में से 3 एयर रकबा कम कर उपरोक्त खसरा नंबर में प्रतिवादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) के नाम कलम किए जाकर वादी मृतक मौहरसिंह (उसके वारिसान) को 10475/0.31 व खसरा नंबर 10461/0.18, 10462/0.01 पर मृतक प्रतिवादी शिवराम (उसके वारिसान) के नाम कलमजन किए जाकर वादी मृतक मौहरसिंह (उसके वारिसान) को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जाता है तथा खसरा नंबर 10475 में से कम किए गए 3 एयर रकबा खसरा नंबर क्रमशः 10447/0.13, 10451/0.20, 10476/0.27 में क्रमशः 5

एयर, 11 एयर व 7 एयर कम करते हुए उपरोक्त नम्बरों का कुल 3+5+11+7=26 एयर का नवीन नंबर 10475/1/0.26 का नवीन नंबर कायम कर प्रतिवादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) को खातेदार दर्ज किया जावे। हाल खसरा नंबर 10458/0.17 मृतक प्रतिवादी शिवराम (उसके वारिसान) के नाम दर्ज रहेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। मौका रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर क्रमांक/रीडर/07/150 दिनांक 02.03.2007 निर्णय के साथ जुज रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official